

एपीसीपीएल/आईजीएसटीपीपी की आवासीय कालौनी में दुकानों के  
आंबटन हेतु फार्म

आवेदित ब्यवसाय का नाम/दुकान न0 .....

1. आवेदक का नाम / फर्म का नाम (अंग्रेजी में) .....

2. आवेदक का नाम / फर्म का नाम (हिन्दी में).....

3. फर्म अथवा कम्पनी का प्रकार (मालिकाना / पार्टनरशिप फर्म आदि)

.....

4. आवेदक के पिता / पति /पार्टनर का नाम .....

5. आयु (आधार कार्ड/पैन कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र) की कापी लगाएं)

.....

6. शिक्षा विवरण .....

7. पूरे स्थाई पते के साथ फोन न0 / फैंक्स न0 .....

.....

8. पूरे अस्थाई पत्र व्यवहार पते के साथ फोन न0 / फैंक्स न0.....

.....

9. सम्बन्धित दुकान में व्यापार अनुभव का विवरण .....

10. निवेश के लिए सम्भावित पूंजी.....

11. क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा दंडित या एनटीपीसी द्वारा ब्लैक लिस्टिड किए गए हैं यदि हां तो विवरण दीजिए .....

12.क्या आपका कोई सम्बन्धित एनटीपीसी में कार्यरत है यदि हां तो

परियोजना / नाम /पद / विभाग आदि का विवरण दीजिए .....

.....

फोटो चिपकाएं

## एनटीपीसी/एपीसीपीएल की आवासीय कालौनी में दुकानों के आवंटन हेतु नोटिस

एनटीपीसी/एपीसीपीएल, झाड़ली, झज्जर, हरियाणा स्थित आवासीय कालौनी में दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

दुकानों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | विशेष/दुकान का प्रकार  | दुकान न0 | दुकान का क्षेत्र (Sqm) | दुकान किराया हर महिने (रु) | टिप्पणी   |
|-------------|--|----------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 1           | लेडीज एवम् जेंट्स टेलर/रेडीमेट गारमेंट्स/कपड़ा विक्रेता        | 6        | 21.164                 | 1621.00                    | सब एक में |
| 2           | एसी/फ्रिज, आर ओ, साईकिल तथा इलैक्ट्रिकल उपकरण सुधारने की दुकान | 10       | 12.64                  | 969.00                     | सब एक में |
| 3           | मिठाई, फास्ट फुड, ताजा जूस कार्नर                              | 12       | 13.02                  | 998.00                     | सब एक में |

- 1 आवेदक को एक दुकान में सभी उपरोक्त सामान में व्यापार करना होगा।
- 2 दुकान नं 2 के लिए, सप्ताह में दो बार साईकिल रिपेयर की सुविधा की व्यवस्था कराना अनिवार्य है।
- 3 आवेदक के पास व्यवसाय संबंधित कम से कम 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। तथापि ज्यादा अनुभव और ख्याति को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी अनुभव का समय कम करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 4 शुरुवाती निवेश में आर्थिक रूप से सुदृढ होना अनिवार्य है।
- 5 आर्थिक रूप से सुदृढता हेतु आवेदक के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का सबुत होना अनिवार्य है।
- 6 कभी किसी न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया हुआ/दंडित या एपीसीपीएल द्वारा ब्लैक लिस्टिड नही होना चाहिए।
- 7 दो सरकारी कर्मचारियों द्वारा बना चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- 8 आवश्यकता अनुसार शपथ पत्र, मालिकाना अधिकार संबंधित कागजाद, सांझेदारी, फर्म का गटन और पॉवर ऑफ अटॉर्नी।
- 9 दुकान आवंटन में भू-विस्थापितों/झाड़ली प्रोजेक्ट प्रभावित ग्रामों के व्यक्तियों जिनमें मोहनबाड़ी, गोरिया, खानपूर, खुर्द, लिलोढ़, सुधराणा को प्राथमिकता। विज्ञापन हेतु नामांकन प्राप्त न होने की स्थिति में एपीसीपीएल के पास इच्छुक आवेदक को दुकान आवंटन का अधिकार होगा।
- 10 मिठाई दुकान न0 3 पर केवल तैयार माल बेचने की अनुमति है (तैयार करने की अनुमति नहीं)।
- 11 दुकान पुनः सबलैट करने की इजाजत नहीं है तथा किसी अन्य को किराए पर दिए जाने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

सामान्य शर्तें:-

- 1 आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेजों का प्रमाण जरूरी है।
- 2 एपीसीपीएल झाड़ली के पास बिना कारण बताए आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार है। दुकान आवंटन के संबंध में एपीसीपीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम तथा इसे मानना बाध्य होगा।
- 3 समय- समय पर उचित शुल्क जैसे लाईसेंस फीस/किराया/पानी खर्च तथा अन्य खर्चों में एपीसीपीएल नियमों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।
- 4 आवेदन पत्र भरकर वरिष्ठ प्रबंधक (मा0 संसाधन), अरावली पॉवर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, पोस्ट:- झाड़ली, जिला-झज्जर (हरियाणा), पिन कोड-124141 के नाम 28/07/2017 से पहले पहुँच जाने चाहिए।

## घोषणा

मैं यह घोषित करता हूँ कि मेरे ज्ञान अनुसार मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त तथ्य सही हैं। यदि इनमें से कोई तथ्य गलत पाया गया तो मैं एनटीपीसी द्वारा आवंटित दुकान प्रबंधन की निरस्तीकरण की सूचना के 72 घंटों के भीतर अपने खर्चों पर सौंप दूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो एनटीपीसी अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगी। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि आवंटन की अन्य सभी नियम एवं शर्तें जो लागू होंगी मुझे मान्य होंगी।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि दुकान आवंटन की नियमावली की सभी शर्तें एवं नियम मैंने पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिए हैं।

मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे दुकान आवंटित होने की सूचना में मैं या मेरा कोई आश्रित एनटीपीसी में नियोजन के सम्बन्ध किसी प्रकार की प्राथमिकता का दावा नहीं करूंगा।

मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे दुकान आवंटित होने की सूचना में, बाद में मेरी मृत्यु के पश्चात में उत्तराधिकारियों का दुकान आवंटन के लिए स्वतः ही दुकान के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि लाइसेंस के दुकान आवंटन से सम्बन्धित सभी निणयों को मानूंगा।

मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे दुकान आवंटन होने की सूचना में एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा तय /धरोहर राशि जमा करवाऊंगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक.....

स्थान.....